न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 120/2025 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/248**
दायर दिनांक :– 06.06.2025 | **निर्णय दिनांक :– 11.02.2026**

1. भंवरदान पुत्र बाबूदान जाति चारण निवासी बधाउड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. लिछमणदान पुत्र भंवरदान जाति चारण निवासी बधाउड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
2. खंतीजो पत्नी महबूबखां जाति मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी
3. मदीना पत्नी समरदीन जाति मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी
4. रहमत पत्नी नूरदीन जाति मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी
5. सफियत पत्नी हासम जाति मुसलमान निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी
6. गोपालदान पुत्र रूगनाथराम जाति चारण निवासी सुवाप तहसील व जिला फलोदी
7. सत्यानारायण दान पुत्र कल्याणदान जाति चारण निवासी सुवाप तहसील व जिला फलोदी
8. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

उपखण्ड अधिकारी बाप जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 61/2 रकबा 5.1800 हैक्टेयर ग्राम बधाउड़ा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप की सरहद में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार बाप के आदेश क्रमांक 2025/49548/1 दिनांक 01.05.2025 की पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 20.05.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थित में उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। पैमाईश फर्द नियमानुसार

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने पैमाईश अनुसार प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने नहीं दिये और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि की दिनांक 20.05.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 8 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम बधाउड़ा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 61/2 रकबा 5.1800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 20.05.2025 के अनुसार प्रार्थी की हद में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा बधाउड़ा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 61/2 रकबा 5.1800 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 20.05.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा बधाउड़ा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 61/2 रकबा 5.1800 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 20.05.2025 के अनुसार किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

Saty...
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद ग्राम बधाउडा पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 61/2 रकबा 5.1800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पैमाईश फर्द दिनांक 20.05.2025 के अनुसार किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/– प्रार्थी द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)
बाप (फलोदी)